न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– रतन कुमार स्वामी, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 19 / 2024 / प्रार्थना पत्र

जगदीश प्रसाद दत्तक पुत्र ज़ोधाराम जाति रैगर निवासी आभावास तहसील श्रीमाधोपुर हाल तहसील रींगस जिला सीकर हाल मकान न. 47 / 21ए, किरण पथ मानसरोवर जयपुर

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर हाल रींगस जिला सीकर

अप्रार्थी

आवेदन बाबत आदेश दिनांक 17.05.2006 की पालना सुनिश्चित करवाये जाने एवं चलाये जाने कोर्ट ऑफ कन्टेम्पट

वकील प्रार्थी श्री रामस्वरूप तिरदिया

निर्णय **दिनांकः–25.03.2026**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक अपील विरूद्व आदेश नामान्तकरण संख्या 252 दिनांक 10.06.1981 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के विरूद्ध बउनवानी जगदीश प्रसाद बनाम ज़गदीप वगैरह पेश की थी। जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.05.2006 को निर्णय पारित फरमाया कि "अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर की आज्ञा दिनांक 10.06.1981 बाबत नामान्तकरण संख्या 252 तन ग्राम चौमू पुरोहितान निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में जाँच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करें।" प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित करवाने के सम्बन्ध में समय समय पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर, तहसीलदार रींगस के कार्यालय में बारम्बार उपस्थित होकर माननीय न्यायालय के आदेश की प्रति मय दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन किया गया परन्तु आज दिवस तक श्रीमान् न्यायालय के आदेश की पालना नहीं हुई है। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिनांक 12.09.2018 को आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया बाद दिनांक 16.07.2019 को मगर अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा आज दिवस तक कोई कार्यवाही नहीं कर माननीय न्यायालय के आदेश की खुलमखुला अवहेलना की जा रहीं है। प्रार्थी की तहसील बदलने के कारण प्रार्थी द्वारा दिनांक 22.11.2022 को तहसीलदार रींगस को आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किये परन्तु आज दिवस तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर माननीय न्यायालय के आदेश की खुलमखुला अवहेलना की जा रही है। प्रार्थी द्वारा बार–बार तहसील कार्यालय श्रीमाधोपुर व रीगस में आवेदन प्रस्तुत किये गये फिर भी अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा आज दिवस तक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही तथा ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया जा रहा है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2006 की पालना सुनिश्चित करवाते हुये सम्बंधित तहसीलदार के विरूद्व उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान करावे।

25/3/26

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष नामांतकरण संख्या 252 दिनांक 10.06.1981 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 17.05.2006 पारित कर नामांतकरण संख्या 252 दिनांक 10.06.1981 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि दत्तक पुत्र के सम्बंध में जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नामांतकरण तस्दीक करने हेतु पारित किया गया। वादग्रस्त आरायिजात पूर्व में श्रीमाधोपुर तहसील में स्थित थी वर्तमान में रींगस तहसील में स्थित है। प्रार्थी द्वारा तहसील श्रीमाधोपुर व वर्तमान तहसील रींगस में न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2006 की पालना हेतु बार–बार आवेदन पेश करने पर भी निर्णय दिनांक 17.05.2006 की पालना नहीं की जा रही है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.05.2006 की पालना करवाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 21/2004 अनुवानी जगदीश प्रसाद बनाम जगदीप कुमार में दिनांक 17.05.2006 को पारित निर्णय के द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 252 दिनांक 10.06.1981 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया है कि दत्तक पुत्र के सम्बंध में जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः नामांतकरण तस्दीक करने हेतु पारित किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 17.05.2006 की पालना सुनिश्चित करवाये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। निर्णय दिनांक 17.05.2006 की पालना राजस्व रिकॉर्ड में सुनिश्चित करने सम्बंधी किसी प्रकार का दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.05.2006 को पारित निर्णय की राजस्व रिकॉर्ड में पालना नही होने से प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार रींगस को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 21/2004 में दिनांक 17.05.2006 को पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में दत्तक पुत्र के सम्बंध में जांच कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं वादग्रस्त आराजियात के बाबत अन्य किसी न्यायालय में वाद/अपील विचाराधीन होने एवं वादग्रस्त आराजियात के बाबत स्थगन आदेश प्रभावी होने सम्बंधी सम्पूर्ण जांच करते हुए नियमानुसार नामांतकरण सम्बंधी कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/3/26

(रतन कुमार स्वामी)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर